शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/71/2013

श्री ललित चंद्रनाहू, —शिकायतकर्ता
रेल्वे स्टेशन मार्ग, महासमुंद,
जिला महासमुंद (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री बड़गैया,
जनसूचना अधिकारी, — अनावेदक
कार्यालय— वनमंडल रायपुर,
जिला रायपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 10/09/2014)

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री ललित चंद्रनाहू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंतर्गत अनावेदक जनसूचना अधिकारी, श्री बड़गैया, कार्यालय— वनमंडल, जिला रायपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

शिकायतकर्ता द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 6.12.12 द्वारा अनावेदक जनसूचना अधिकारी से वर्ष 2011—12 एवं 2012—13 में विभिन्न मदों से प्राप्त आबंटित राशि एवं व्यय राशि के वार्षिक व्यय रिपोर्ट एवं भुगतान देयकों (वेतन भत्ता भुगतान को छोड़कर) के अवलोकन एवं आवश्यकतानुसार सत्यापित प्रति चाही गई थी।

इसके प्रत्युत्तर में अनावेदक ने कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर केवल कैम्पा मद के अभिलेखों का अवलोकन कर नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु पत्र दिनांक 13.12.2012 शिकायतकर्ता/आवेदक को प्रेषित करते किया। परंतु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा न करते हुए प्रथम अपील दिनांक 29.12.2012 प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रथम अपील अधिकारी ने उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनांक 23.1.2013 पारित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ''यदि अपील के दोनों पक्षकार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित हैं तो मामले को समाप्त किया जा सकता है'', के तहत अपीलार्थी की अपील समाप्त किया गया।

शिकायतकर्ता/आवेदक की शिकायत यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 में दोनों पक्षकार की अनुपस्थिति के आधार पर प्रकरण को समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी की अनुपस्थिति में अपील प्रकरण को अस्वीकार करने का आदेश पूर्णता नियम विरूद्ध है। उत्तरवादी की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाना चाहिए था और उसके उपरांत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना चाहिए था। शिकायतकर्ता ने शिकायत में निःशुल्क सूचना प्रदान करने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने एवं जुर्माना किये जाने, अनुशासन की कार्यवाही करने की मांग की है।

शिकायत की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता/आवेदक उपस्थित हुए। अनावेदक अनुपस्थित थे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शिकायतकर्ता को सुना गया। है। शिकायतकर्ता का कथन था कि दिनांक 13.12.13 को दिये गये निर्देशानुसार 50 पृष्ठों की दी गई जानकारी को सत्यापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन ठीक से नहीं किया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी विधिवत् सुनवाई नहीं की जाती है।

जनसूचना अधिकारी कार्यालय, रायपुन वनमंडल, रायपुर ने जवाब दिनांक 29.6.13 प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि प्रस्तुत प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.1.2013 द्वारा अनुपस्थिति के कारण प्रथम अपील निरस्त कर दी थी। जिस पर शिकायतकर्ता/आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनरावलोकन का आवेदन दिनांक 18.02.13 लगाया जिसे मान्य कर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पुनः सुनवाई कर आदेश दिनांक 25.2.13 पारित किया और जनसूचना अधिकारी को निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन कराने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त जनसूचना अधिकारी ने भी अपनी ओर से शिकायतकर्ता/आवेदक को पत्र क्रं 714 दिनांक 18.2.13 द्वारा सूचित किया था कि लिपिकीय त्रुटिवश अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है, अतः दिनांक 20.3.13 को उपस्थित होकर अभिलेखो का अवलोकन किया जा सकता है। फिर शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा अवलोकन के पश्चात् अवलोकन की टीप की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

शिकायतकर्ता की शिकायत में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील के आदेश के पुनरावलोकन आदि का हवाला नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने अभिलेखों का अवलोकन कर लिया और उन्हें 50 पृष्ठों की जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। इसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार भी किया है।

यह शिकायत अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है एवं जो मांग की गई है वह यह है कि निःशुल्क सूचना प्रदान की जाये, जुर्माना किया जाये व क्षतिपूर्ति दी जाये। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 18 में सूचना/जानकारी दिलाये जाने का अधिकार आयोग को नहीं है। इसकी पुष्टि मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रकरण चीफ इन्फार्मेशन कमीशन एवं अन्य एवं मणिपुर राज्य, एवं अन्य सिविल अपील क0 10787–10788/2011 जो एस0एल0पी0 (C) नं0 32768–32769/2010 से उदभूत है, में पारित निर्णय दिनांक 12 दिसंबर 2011 से भी होती है। इस प्रकरण में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को सूचना/जानकारी दिलाये जाने का आदेश करने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार जो मांग शिकायत में की गई है वे अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत की गई द्वितीय अपील में ही संभव है। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने प्रथम अपील की उसके निरस्त होने पर उसका पुनरावलोकन आवेदन दिया। जिस पर फिर प्रथम अपील में आदेश पारित किया गया जो शिकायतकर्ता/आवेदक के पक्ष में था। इस आदेश का पालन भी हो चुका है और उन्हें अवलोकन कराया जा चुका है और 50 पृष्ठों की जानकारी भी प्राप्त हो चुकी है। यदि शिकायतकर्ता प्रथम अपीलीय आदेश से असंतुष्ट थे तो वे धारा 19 के अंतर्गत आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते थे। परंतु उन्होंने शिकायत की है जो

उचित नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही अर्धन्यायिक कार्यवाही है। उसके विरूद्ध द्वितीय अपील उचित है न कि शिकायत।

अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई जाती। परंतु यह सही है कि अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में पक्ष उपस्थित हों या न हों, प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है।

शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी व शिकायतकर्ता को भी भेजी जाये।

आदेश तद्नुरूप।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त